

प्रेस नोट दिनांक- 25.11.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 13 लीटर अवैध शराब के साथ एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा शराब/ अवैध तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर आशुतोष के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर गंजख्वाजा स्टेशन जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से दो झोले में लिये हुए नाजायज शराब रायल स्टेग 750ML 12 ट्रेट्रापैक व इम्पीरियल ब्लू 480ML 09 ट्रेट्रापैक कुल 13.220 लीटर नाजायज शराब के साथ तस्कर प्रफुल माली पुत्र स्व0 राजेन्द्र माली निवासी ग्राम मझुई थाना चैनपुर भभुआ बिहार उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 318/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ अभियुक्त-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि आस पास की दुकानो से खरीदकर ये शराब इकट्ठा करता हूँ। और उसे अधिक दाम मे बेचने हेतु रात के समय निकलता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

प्रफुल माली पुत्र स्व0 राजेन्द्र माली निवासी ग्राम मझुई थाना चैनपुर भभुआ बिहार उम्र करीब 34 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु.अ.सं. 318/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी -

रायल स्टेग 750ML 12 ट्रेट्रापैक व इम्पीरियल ब्लू 480ML 9 ट्रेट्रापैक कुल 13.220 लीटर नाजायज शराब।
बरामद शराब की अनुमानित (कीमत करीब 15 हजार रुपये)

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1. निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 अनन्त भार्गव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
3. का0 धीरेन्द्र कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
4. का0 अमित सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।